

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2015/चैत्र 18, 1937

No. 217]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2015/CHAITRA 18, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2015

सं. 21/2015 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 272(अ).—अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा तथा कपड़े की वस्तुएं) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में अनिवार्य है, एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को, विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.08 के साथ पठित पैरा 3.10 के अंतर्गत क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी भारतीय योजना के तहत सेवाओं का निर्यात शुल्क जमा पर्ची (यहां इसके बाद उक्त पर्ची कही जाएगी) के एवज में निकासी होने पर, निम्नलिखित से छूट प्रदान करती है, -

- (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम और द्वितीय अनुसूची के तहत उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से;
- (ii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के तहत उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से; और

(iii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा तथा कपड़े की वस्तुएं) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 के तहत उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से।

2. यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, नामशः—

- (1) यह कि अधिसूचना सं. 25/2015 – सीमाशुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015, के पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों (1) और (2) का पालन किया गया है और उक्त पर्ची, उक्त पर्ची पर उल्लिखित पंजीकरण पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी के यहां पंजीकृत है (जिसे इसके बाद उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी कहा गया है);
- (2) यह कि उक्त पर्ची का धारक, जो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे पर्ची मूलतः जारी की गयी थी या हस्तांतरण धारी हो, उक्त पर्ची को उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी को आपूर्तिकर्ता या विनिर्माता से पत्र या प्रोफार्मा बीजक के साथ प्रस्तुत करे जिसमें उसके क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी (जिसे इसके बाद उक्त अधिकारी कहा गया है) के क्षेत्राधिकार के ब्यौरे हों तथा निकासी किए जाने वाले माल का विवरण, मात्रा, मूल्य एवं उस पर उद्ग्रहणीय शुल्कों के ब्यौरे हों, इस छूट को छोड़कर;
- (3) यह कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 25/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के तहत आयातों तथा नामे की गई राशि, अधिसूचना सं 11/2015 - सेवा कर, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के तहत नामे की गई राशि तथा इस छूट के अंतर्गत पहले ही नामे की गई राशि को ध्यान में रखते हुए उक्त पर्ची में या उसके पीछे उद्ग्रहणीय शुल्कों को (इस छूट के बिना) नामे करेगा, उस पर आवश्यक ब्यौरे भी लिखता है, अपने अभिलेखों को अद्यतन करता है, तथा इन कार्रवाइयों की लिखित सलाह उक्त अधिकारी को भेजता है;
- (4) यह कि निकासी के समय, पर्ची का धारक उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा नामे की गयी उक्त पर्ची को उक्त अधिकारी के समक्ष उक्त अधिकारी को संबोधित एक वचनपत्र के साथ प्रस्तुत करता है कि उक्त पर्ची में किसी धनराशि के कम नामे होने के मामले में वह मांग करने पर कम नामे की धनराशि के बराबर धन लागू ब्याज के साथ अदा करेगा;
- (5) यह कि उक्त लिखित सलाह और वचनपत्र के आधार पर, उक्त अधिकारी निकासी के ब्यौरों को पृष्ठांकित करता है तथा उक्त पर्ची के पीछे, इस छूट को छोड़कर, उद्ग्रहणीय शुल्कों का वैधयन करता है जिसे उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा नामे किया गया, तथा ऐसी निकासियों का एक अभिलेख रखता है;
- (6) यह कि विनिर्माता इस अधिसूचना के तहत निकासी के समर्थन में, उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा नामे किए गए तथा उक्त अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित एवं पर्ची के धारक द्वारा विधिवत सत्यापित उक्त पर्ची की एक प्रतिलिपि रखता है; और
- (7) यह कि उक्त पर्ची का धारक, जिसे माल की निकासी की गयी थी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम और द्वितीय अनुसूची, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3, तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा तथा कपड़े की वस्तुएं) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 के तहत उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क पर, उक्त पर्ची में नामे की गयी तथा निकासी के समय वैधीकृत धनराशि के समक्ष प्रतिअदायगी या सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेने का पात्र होगा।

स्पष्टीकरण. - इस अधिसूचना के प्रयोजनों से, -

- (I) "पूंजीगत वस्तुओं" का वही अर्थ है जो कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.08 में दिया गया है;

(II) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है जिसका प्रकाशन भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 01/2015-2020, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 समय-समय पर यथा संशोधित, के द्वारा किया है;

(III) "वस्तुओं" का अर्थ ऐसे किसी निविष्टियां या वस्तुओं से है जिसमें पूंजीगत माल भी शामिल है;

(IV) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय उस विदेश व्यापार महानिदेशक से है जिसकी नियुक्ति विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत की गई है या ऐसे अधिकारी से है जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

[फा. सं. 605/55/2014-डी बी के]

संजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2015

No. 21/ 2015 – Central Excise

G.S.R. 272(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the First Schedule and the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), when cleared against a Service Exports from India Scheme duty credit scrip issued by the Regional Authority under paragraph 3.10 read with paragraph 3.08 of the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as the said scrip) from, -

- (i) the whole of the duty of excise leviable thereon under the First Schedule and the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986);
- (ii) the whole of the additional duty of excise leviable thereon under section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957); and
- (iii) the whole of the additional duty of excise leviable thereon under section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978).

2. The exemption shall be subject to the following conditions, namely:-

- (1) that the conditions (1) and (2) specified in paragraph 2 of the Notification No. 25/2015-Customs, dated the 8th April, 2015 are complied and the said scrip has been registered with the Customs Authority at the port of registration specified on the said scrip (hereinafter referred as the said Customs Authority);
- (2) that the holder of the scrip, who may either be the person to whom the scrip was originally issued or a transferee-holder, presents the said scrip to the said Customs Authority along with a letter or proforma invoice from the supplier or manufacturer indicating details of its jurisdictional Central Excise Officer (hereinafter referred as the said Officer) and the description, quantity, value of the goods to be cleared and the duties leviable thereon, but for this exemption;
- (3) that the said Customs Authority, taking into account the debits already made towards imports under Notification No. 25/2015-Customs, dated the 8th April, 2015, the debits made under Notification No.11/2015-Service Tax, dated the 8th April, 2015 and this exemption, shall debit the duties leviable, but for this exemption in or on the reverse of the said scrip and also mentions the necessary details thereon, updates its own records and sends written advice of these actions to the said Officer;

- (4) that at the time of clearance, the holder of the scrip presents the said scrip debited by the said Customs Authority to the said Officer along with an undertaking addressed to the said Officer that in case of any amount short debited in the said scrip he shall pay on demand an amount equal to the short debit, along with applicable interest;
- (5) that based on the said written advice and undertaking, the said Officer endorses the clearance particulars and validates, on the reverse of the said scrip, the details of the duties leviable, but for this exemption, which were debited by the said Customs Authority, and keeps a record of such clearances;
- (6) that the manufacturer retains a copy of the said scrip, debited by the said Customs Authority and endorsed by the said Officer and duly attested by the holder of the scrip, in support of the clearance under this notification; and
- (7) that the said holder of the scrip, to whom the goods were cleared, shall be entitled to avail drawback or CENVAT credit of the duties of excise leviable under the First Schedule and the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978), against the amount debited in the said scrip and validated at the time of clearance.

Explanation. - For the purposes of this notification,—

- (I) "Capital goods" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.08 of the Foreign Trade Policy;
- (II) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry notification number 01/2015-2020, dated the 1st April 2015 as amended from time to time;
- (III) "Goods" means any inputs or goods including capital goods;
- (IV) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation including a duty credit scrip under the said Act.

[F. No. 605/55/2014-DBK]

SANJAY KUMAR, Under Secy.